रामेश्वर बनाम सुरेन्द्र वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्र.न. - 275/2013
26-5-17	...प्रकरण ... कल्याणपुरा ... अतः पत्रावली ... नियत दिनांक 25-6-17 को पेश हों। 6/
3-11-17	इकतराई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-2-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
15-2-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा... /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27-4-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
23-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष–2018 श्रीमान सयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर, के क्रमांक प.12 (15) राज–1 ... श्रीमान जिला कलक्टर ... की पालना एवं योजना में पत्रावली ... प्रदत्त दिशा निर्देशों की आज पेश हुई। उक्त दिनांक ... 20-7-18 से तजवीज हाकम से सुनवाई हेतु रखी जानी है। ... में पत्रावली लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र—कल्याणपुरा लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल में दिनाक 13-6-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। Gm
13.06.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– कल्याणपुरा के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण वर्ष 2013 से न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 की ओर से दिनांक 05.03.2014 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो चूका है। प्रकरण दिनांक 21.03.2014 से अन्तिम बहस में लम्बित चल रहा है। शेष अप्रार्थी न. 6 की Gm

Scanned by CamScanner

रामेश्वर बनाम सुरेन्द्र वगै.

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज इ.न. - 275/2013	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

ओर से उपस्थित तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराया। प्रकरण में गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रकरण का मूल वाद पत्र के निस्तारण तक निर्णय किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर प्रकरण में उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2013 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत विवादित आराजियात् भूमि खसरा नम्बर 571, 577 अवस्थित तन् ग्राम जसवंतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर को मूल वाद पत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प–कल्याणपुरा के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–कल्याणपुरा

Scanned by CamScanner